

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,  
मुंगेर/भागलपुर/औरंगाबाद/सीतामढ़ी/दरभंगा/कटिहार/बेगूसराय/नालन्दा एवं सीवान।

Fax  
E-mail

पटना-15, दिनांक-24-11-2014

विषय :-

मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) माँग संख्या-40 विपत्र कोड-पी0 4047007890101 के अन्तर्गत 5302-भू-अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में राशि का आवंटन। (स्कीम कोड-REV-5528)

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-365(8)/रा0 दिनांक-17.11.2014 के आलोक में महादलित वासरहित परिवारों के लिए रैयती भूमि क्रय करने के लिए निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने स्वीकृत राशि कुल रू0-71,25,000/- (एकहत्तर लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-


| क्र0 | जिला     | स्वीकृत राशि<br>(रूपये में) | आवंटित राशि<br>(रूपये में) |
|------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1    | 2        | 3                           | 4                          |
| 1    | मुंगेर   | 10,00,000                   | 10,00,000                  |
| 2    | भागलपुर  | 10,00,000                   | 10,00,000                  |
| 3    | औरंगाबाद | 10,00,000                   | 10,00,000                  |
| 4    | सीतामढ़ी | 10,00,000                   | 10,00,000                  |
| 5    | दरभंगा   | 10,00,000                   | 10,00,000                  |
| 6    | कटिहार   | 10,00,000                   | 10,00,000                  |
| 7    | बेगूसराय | 4,50,000                    | 4,50,000                   |
| 8    | नालन्दा  | 3,50,000                    | 3,50,000                   |
| 9    | सीवान    | 3,25,000                    | 3,25,000                   |
| योग- |          | 71,25,000                   | 71,25,000                  |

(एकहत्तर लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र)

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्र संख्या-6720 (वि0) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जा रहा है।

P.T.O.

4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,  
  
(विनोद कुमार झा),  
सरकार के अपर सचिव।  
24